



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04052023-245664
CG-DL-E-04052023-245664

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1960]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 3, 2023/वैशाख 13, 1945

No. 1960]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 3, 2023/ VAISAKHA 13, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2023

का.आ. 2048(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5609(E) तारीख: 01 दिसंबर 2022 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू जिले में रिंग रोड के कि.मी. 0.687 से कि.मी.57.568 यानी राया मोड़ से जगती तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "07 दिसंबर 2022" को "डेली एक्सेलसियर" और "अमर उजाला" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू जिले में रिंग रोड (NH-244A) के कि.मी. -0.687 से कि.मी. 57.568 यानी राया मोड़ से जगती के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर			जिले का नाम: जम्मू		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: बिशनाह				
	गांव का नाम: चक अबतरा				
1	210Min	निजी	कृषि	0.0175	मालिक: बिक्रम सिंह 3 कनाल 4 मरला, राज सिंह 9 मरला योग राज सिंह 1 कनाल 8 मरला पुत्र करम सिंह राजपूत चारक निवासी देह कल्टीवेटर: सेल्फ कल्टीवेशन मौके पर कब्जा: 5 मरला योगराज करम सिंह के पुत्र 2 मरला बिक्रम सिंह पुत्र करम सिंह ()
2	211Min	निजी	कृषि	0.015	मालिक: जील सिंह पुत्र जमील सिंह राजपूत चारक निवासी देह कल्टीवेटर: सेल्फ कल्टीवेशन मौके पर कब्जा: 8 मरला जील सिंह जमील सिंह का पुत्र ()
3	219	निजी	कृषि	0.0475	मालिक: खड़क सिंह व अन्य मलकान कल्टीवेटर: 1 कनाल रणजीत सिंह पुत्र सुखदेव सिंह 16 मरला खड़क सिंह शेर धारक मौके पर कब्जा: अनु पुत्री मोहन लाल 1 कनाल तालाब हुसैन पुत्र नूर हुसैन 10 मरला शमशेर व अन्य पुत्र चूर सिंह 15 मरला तेजा सिंह का भाई 15 मरला करतार सिंह साधु का पुत्र 2 मरला, चुनी सिंह साधु सिंह का पुत्र 18.5 मरला पुरुषोत्तम सिंह तेजा सिंह का पुत्र 1.5 मरला ()
4	220	निजी	कृषि	0.005	मालिक: फेजा सिंह, चुनी सिंह, साधु सिंह के बेटे करतार सिंह को बराबर का हिस्सा कल्टीवेटर: सेल्फ कल्टीवेशन मौके पर कब्जा: शमशेर सिंह और अन्य चूर सिंह के पुत्र ()

5	241	निजी	कृषि	0.0125	मालिक: सुखदेव सिंह रणजीत सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह राजपूत चारक निवासी देह बराबर का हिस्सा कल्टीवेटर: सेल्फ कल्टीवेशन मौके पर कब्जा: सुखदेव सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह ()
6	244	निजी	कृषि	0.0125	मालिक: बूटी राम पुत्र साधु राम मेघ निवासी देह दाखिल खारिज संख्या 1263 धारा 121 के तहत कल्टीवेटर: सेल्फ कल्टीवेशन मौके पर कब्जा: बूटी राम पुत्र साधु राम मेघ निवासी देह ()
7	271	निजी	कृषि	0.009	मालिक: खड़क सिंह व अन्य कल्टीवेटर: फेजा सिंह चुन्नी सिंह करतार सिंह पुत्र साधु सिंह के समान हिस्सेदारी दाखिल खारिज संख्या 63 सेहत और गिरदावरी रबी 1971 के तहत मौके पर कब्जा: 3 मरला शमशेर सिंह व अन्य चूर सिंह के पुत्र 5 मरला करतार सिंह साधु सिंह के पुत्र ()
8	296	निजी	कृषि	0.0225	मालिक: खड़क सिंह पुत्र मुंशी सिंह राजपूत चारक निवासी देह म्यूटेशन संख्या 419 द्वारा कल्टीवेटर: फेजा सिंह चुन्नी सिंह करतार सिंह साधु सिंह के पुत्र बराबर का हिस्सा बेला लगान तसावर मालक खुद मौके पर कब्जा: खड़क सिंह पुत्र मुंशी सिंह मालिक 02 कनाल 3 मरला ()
9	297	निजी	कृषि	0.0925	मालिक: संसार सिंह, चूर सिंह पुत्र फकीरो राजपूत चारक निवासी देह बराबर का हिस्सा कल्टीवेटर: सेल्फ कल्टीवेशन मौके पर कब्जा: 2 कनाल 2 मरला संसार सिंह पुत्र फकीरो, 1 कनाल 7 मरला शमशेर सिंह पुत्र चूर सिंह ()
10	298	निजी	कृषि	0.13	मालिक: संगारा ब्राह्मण के पुत्र तिलक राज 1/2 शेयर बाबू पुत्र नीलकंठ 1/2 शेयर ब्राह्मण निवासी पट्यारी कल्टीवेटर: सेल्फ कल्टीवेशन मौके पर कब्जा: बाबू राम की विधवा कांता देवी ()
11	300	निजी	कृषि	0.05	मालिक: भगवान सिंह पुत्र बलवान सिंह राजपूत चारक निवासी देह कल्टीवेटर: सेल्फ कल्टीवेशन मौके पर कब्जा: बलवान सिंह के पुत्र भगवान सिंह ()
12	7	निजी	कृषि	0.0125	मालिक: बाबू राम के पुत्र प्रेम नाथ 7 मरला कृष्ण लाल धनी राम, सुभाष चंद्र

					राज कुमार दीवान चंद के पुत्र बराबर शेयर बटवाल कल्टीवेटर: सेल्फ कल्टीवेशन मौके पर कब्जा: बाबू राम के पुत्र प्रेमनाथ ()
			कुल	0.4265	

[फा. सं. : NHAI/PIU-JMU/RR/001/3D]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 2023

S.O. 2048(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, SO 5609(E) dated: 01.12.2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of Ring Road on the stretch of land from Km. 0.687 to Km. 57.568 i.e. Raya Morh to Jagti in the district of JAMMU in the Union Territory of JAMMU & KASHMIR

And whereas the substance of the said notification has been published in "Daily Excelsior" and "Amar Ujala" dated 07.12.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling Ring Road in the stretch of land from Raya Morh to Jagti on Ring Road (NH-244A) in the district of JAMMU in the Union Territory of JAMMU & KASHMIR.

State: JAMMU & KASHMIR			District: JAMMU		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Bishnah				
	Village: Chak Abtara				
1	210Min	Private	Agriculture	0.0175	Owner: Bikram Singh 3 kanal 4 marla, raj singh 9 marla yog raj singh 1 kanal 8 marla son of karam singh rajput charak r/o deh Cultivator: Self Cultivation Onspot Possession: 5 marla yograj son of karam singh 2 marla bikram singh

					son of karam singh
2	211Min	Private	Agriculture	0.015	Owner: Jeel Singh son of Jamil Singh rajput charak r/o deh Cultivator: Self Cultivation Onspot Possession: 8 marla Jeel singh son of Jamil Singh
3	219	Private	Agriculture	0.0475	Owner: Kharak Singh and others Malkaan Cultivator: 1 kanal Ranjeet Singh son of Sukhdev Singh 16 marla Kharak Singh share holders Onspot Possession: Anu daughter mohan lal 1 kanal talab hussain son of noor hussain 10 marla shamsher and others son of choor singh 15 marla brother of teja singh 15 marla kartar singh son of sadhu 2 marla, chuni singh son of sadhu singh 18.5 marla parshotam singh son of teja singh 1.5 marla
4	220	Private	Agriculture	0.005	Owner: Feja Singh, Chuni Singh, Kartar Singh son of Sadhu singh equal share Cultivator: Self Cultivation Onspot Possession: Shamsher Singh and others son of Choor Singh
5	241	Private	Agriculture	0.0125	Owner: Sukhdev Singh Ranjeet Singh son of Angrez Singh Rajput Charak r/o deh equal share Cultivator: Self Cultivation Onspot Possession: Sukhdev Singh son of Angrez Singh
6	244	Private	Agriculture	0.0125	Owner: Buti Ram son of Sadhu Ram megh r/o deh vide mutation no 1263 u/s 121 Cultivator: Self Cultivation Onspot Possession: Buti Ram son of Sadhu Ram megh r/o deh
7	271	Private	Agriculture	0.009	Owner: Kharak Singh and others Cultivator: Feja Singh Chuni Singh Kartar Singh son of Sadhu singh equal share vide mutation no 63 sehat andraj girdawari rabi 1971 Onspot Possession: 3 marla shamsher singh and others son of choor singh 5 marla kartar singh son of Sadhu Singh
8	296	Private	Agriculture	0.0225	Owner: Kharak Singh son of munshi singh rajput charak r/o deh vide mutation no 419 Cultivator: Feja singh chuni singh kartar singh son of sadhu singh equal share bela lagaan tasawar malak khud On spot Possession: Kharak singh son of munshi singh malak 02 kanal 3 marla
9	297	Private	Agriculture	0.0925	Owner: Sansar Singh, Choor Singh son of Faqiro Rajput Charak R/o deh equal share Cultivator: Self Cultivation Onspot Possession: 2 kanal 2 marla Sansar Singh son of faqiro, 1 kanal 7 marla shamsher singh son of choor singh

10	298	Private	Agriculture	0.13	Owner: Tilak Raj son of Sangara brahman 1/2 share Babu son of Neelkanth 1/2 share Brahman R/o Patyari Cultivator: Self Cultivation Onspot Possession: Kanta devi widow of babu ram
11	300	Private	Agriculture	0.05	Owner: Bhagwan singh son of balwan singh rajput charak r/o deh Cultivator: Self Cultivation Onspot Possession: Bhagwan Singh son of Balwan Singh
12	7	Private	Agriculture	0.0125	Owner: Prem nath son of babu ram 7 marla krishan lal dhani ram, subash chander, raj kumar son of dewan chand equal share batwal Cultivator: Self Cultivation Onspot Possession: Premnath son of babu ram
			TOTAL	0.4265	

[F. No. : NHAI/PIU-JMU/RR/001/3D]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.